# दिनेश खारा समिति

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

[भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)] ने **बीमा अधिनियम, 1938** की समीक्षा के लिये **दिनेश खारा** की अध्यक्षता में **7 सदस्यीय समिति का गठन** किया है।

- **यह प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है।**
    - वर्तमान में, बीमा अधिनियम, 1938 बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिये एक व्यापक विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
- विचाराधीन प्रमुख सुधार :
    - [कंपोजिट लाइसेंस] (जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा), कैप्टिव लाइसेंस,
    - विभेदक पूंजी (जोखिम प्रोफाइल के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को समायोजित करना),
    - **सॉल्वेंसी मानदंडों में कमी, निवेश नियमों में बदलाव**
    - बिचौलियों आदि के लिये वन-टाइम रजिस्ट्रेशन।
- IRDAI एक [वैधानिक निकाय] है जिसकी स्थापना IRDA अधिनियम, 1999 के तहत की गई है और यह भारत में बीमा उद्योग को विनियमित तथा प्रोत्साहित करने हेतु उत्तरदायी है।

**और पढ़ें:** [भारत में बीमा क्षेत्र]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dinesh-khara-committee